अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2019 (RCMS 2019/00103) श्री राजू सिंह बीका बीका, कोनपालसर , सूरतगढ – 335804, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं 97846–41949) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत देईदासपुरा पंचायत समिति, सूरतगढ, श्रीगंगानगर

23.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजू सिंह बीका स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि सचिव ग्राम पंचायत, देईदासपुरा से सूचना हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2019 को प्रस्तुत करके 07 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे यह वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजू सिंह बीका ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2019 के द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत देईदासपुरा से निम्न सूचना चाही थीः

> I want to know the details on how the funds were utilized for gram panchayat
> Name of Gram Panchayat : Deedaspura
> Name of District : Ganganagar
> Name of Taluk : Suratgarh
> Year : 2014 to 2018
> In the decision of the Central Information Commission in the case titled PS SAhoo vs CPIO, Andaman and Nicobar Administration, Pradhan Gram Panchayat bearing no. CIC/SM/A/2012/001632, it has been held that details of funds and schemes under the Gram Panchayat has to be disclosed the public at large under the RTI Act.
> Kindly provide the following information related to the scheme utilized by the Gram Panchayat.
> 1. The total amount of funds/money allocated under the above mentioned schemes to Gram Panchayat during the year 2014 to 2018
> 2. The details of works done by the above mentioned Gram Panchayat.
> 3. The list of the schemes implemented by the Gram Panchayat

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. The Current status of the schemes that the implemented
5. Kindly provide the expenditure details(incurred) in each of the work done and the schemes implemented from the year 2014 to 2018
6. A copy of the annual budget submitted by the Gram Panchayat for the year 2014-2018
7. Please provide the List of the Beneficiaries under the above scheme

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, देईदासपुरा, पंचायत समिति, सूरतगढ श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2019–20/14 दिनांक 04.06.2019 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को आरटीआई के तहत लगाया गया परिवाद की सूचना काफी विस्तृत है। अतः उक्त सूचना कार्यालय कार्य को बाधित कर सकती है। अतः आप किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर आप द्वारा चाही गई सूचना/रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते है। यदि आप लिखित में सूचना चाहते हो लगभग 60000/– रूपये या जो भी खर्च हो उसे जमा करवा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव ग्राम पंचायत देईदासपुरा
पंचायत समिति सूरतगढ, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत देईदासपुरा पंचायत समिति, सूरतगढ ने अपीलार्थी की अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदंन है कि परिवादी श्री राजू सिंह बीका को इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 14 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है।

श्रीमानजी परिवादी ने ग्राम पंचायत का पांच वर्षों का सम्पूर्ण रिकॉर्ड मांगा है, अतः कार्यालय संचालन को ध्यान में रखते हुए परिवादी को ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु लिखा गया है। यदि परिवादी लिखित में सूचना चाहता है तो लगभग रूपये 60,000/– या जो भी खर्च हो, ग्राम पंचायत में जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है। यहां यह भी निवेदन करना उचित है कि चूंकि परिवादी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध ग्राम पंचायत देईदासपुरा से है जिसकी प्रथम अपील सरपंच ग्राम पंचायत देईदासपुरा को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाये अगर प्रार्थी उक्त राशि जमा करवा देता है तो सूचना उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्रीमान्जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु साद्र प्रस्तुत है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
सचिव, ग्राम पंचायत
देईदासपुरा, पंचायत समिति
सूरतगढ, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध ग्राम पंचायत देईदासपुरा से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत देईदासपुरा के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, देईदासपुरा, तहसील सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर